

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : सीआरओ/राआमं/2019-20/94

दिनांक : 5.7.2019

### कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की बैठक संख्या-237 के बिन्दु संख्या-237.18 पर लिए गए निर्णयानुसार विभिन्न आवासीय एवं वाणिज्यिक योजनाओं की वर्ष 2019-20 की विकसित भूमि दर, वर्ष 2018-19 के अनुसार ही लागत प्रकोष्ठ के आदेश क्रमांक-1043 दिनांक-3.7.2019 द्वारा स्थिर रखे जाने के परिणामस्वरूप, मण्डल के ऐसे आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्ड जिनकी वर्ष 2018-19 के लिए न्यूनतम बिड मूल्य की स्वीकृति दिनांक 30.6.2019 तक वैध थी, उनमें से भूखण्डों की नीलामी के पश्चात् शेष भूखण्डों की न्यूनतम बिड मूल्य (Minimum Bid Price) की वैधता अवधि, एक वर्ष अर्थात् दिनांक 30.6.2020 तक बढ़ाई जाती है।

५१.

(पवन अरोड़ा)

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, रा.आ.मं., जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-----, रा.आ.मं., जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ.मं., जयपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त,-----, रा.आ.मं., जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, सिस्टम एनेलिस्ट, रा.आ.मं., जयपुर को भेजकर लेखकर है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को ईमेल करें।
8. समस्त आवासीय अभियन्ता, रा.आ.मं., जयपुर-----
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, प्रकोष्ठ -----
10. लेखाधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ.मं., जयपुर -----
11. रक्षित पत्रावली।

५४

(रेखा भास्कर)

वित्तीय सलाहकार